आदेश

प्राय: देखने में आया है कि विभिन्न अनियमिताओं/अदेय/अधिक भुगतानों
एवं भण्डारों के भीतरी सत्यापन के दौरान कम पाए गए सामानों/राजकीय हानि
आदि की वसूली के संबंध में महालेखाकार कार्यालय/निदेशक निरीक्षण विभाग तथा
विभागीय ऑडिट जांच दलों द्वारा जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों में अंकित ऑडिट
आक्षेपानुसार संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से समय पर वसूली संबंधी कार्यवाही नहीं
की जाती है फलस्वरूप अधिकारी/कर्मचारी राज्य सेवा से निवृत्त हो जाते हैं एवं
ऑडिट आक्षेपों का निष्कारण नहीं हो पाता है।

वन विभाग की ऑडिट समिति वर्ष 2016-17 की द्वितीय बैठक
dिनांक 28.02.2017 में इस बिन्दु को समीक्षा से लिया जाकर ऑडिट आक्षेपों में
अंकित राशि की शीर्ष वसूली करने के निर्देश दिये गए हैं।

अतः समस्त कार्यालय अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित
किया जाता है कि वह उनके कार्यालय के महालेखाकार निरीक्षण
प्रतिवेदनों/निदेशालय निरीक्षण विभाग तथा विभागीय ऑडिट जांच दलों के निरीक्षण
प्रतिवेदनों में अंकित वसूली के संबंध में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 171 व 172
cे अनुसार संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से नियमानुसार राशि वसूल किया जाना
सुनिश्चित करें।

[Signature]

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(HOFF)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ ()लेखा/प्रमुखस्/2016-17/10687-727 दिनांक:- 14.3.17

प्रतिलिपि:-रूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेरित है:-
1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (समस्त)।
2. अतिर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (समस्त)।
3. मुख्य वन संरक्षक (समस्त)/कृ.समस्त उप वन संरक्षकों को प्रति पृष्ठांकित करायें।
4. लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय हाजिनो।
5. प्रोग्रामर कम्प्यूटर सैल विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
6. परिपत्र/रक्षित पत्रावली लेखा शाखा।

[Signature]

वित्तीय संलग्नाधिकारी
वन विभाग
राजस्थान, जयपुर